मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

(200)

क्रमांक एफ 44-32/94/20-2 भोपाल, दिनांक 9-1-2006

प्रति,

(1) आयुक्त,
लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश भोपाल

(2) आयुक्त,
राज्य शिक्षा केन्द्र,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

(3) आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय:- प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना ।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-32/94/20-2/20भोपाल, दिनांक 06/10/94 एवं एफ 44-32/94/20-2/20 दिनांक 05/12/95.

-0-

राज्य शासन प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू सुरक्षा बीमा योजना हेतु पूर्व के जारी आदेश/निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रदेश के कक्षा-01 से 12 तक के शासकीय शालाओं में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना तत्काल प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति प्रदान करता है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(आर0डी0 सालवेर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(201)

पृष्ठांकन क्रमांक/एफ 44-32/94/20-2 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः-

(1) निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग ।

(2) मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल ।

(3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग ।

(4) आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग म0प्र0

(5) आयुक्त, जन संपर्क मध्यप्रदेश ।

(6) संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 ।

(7) समस्त संभागआयुक्त, मध्यप्रदेश ।

(8) समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।

(9) वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, दी ओरियेंटल इन्श्योरेंस कं0 लि0 चित्तौड़ काम्प्लेक्स एम0पी0 नगर, भोपाल

(10) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश का ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित ।

6-1-06

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

5/1/06

परिशिष्ट (202)

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना

प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा–01 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजनालागू की जा रही है। दी ओरीयेन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वाराबीमा कार्य किया जायेगा।

1– योजनाकी समय–सीमा–

बीमा आवरण एक वर्ष हेतु पूरे देश में कहीं भी 12 माह 24 घंटे (दिनांक 01/8/05 से 31–7–06 तक) बीमा कवर उपलब्ध होगा एवं आगे भी एक वर्ष के लिए नवीनीकृत होता रहेगा।

2– बीमा प्रीमियम एवं इसकी अदायगी:–

प्रति विद्यार्थी वार्षिक प्रीमियम रूपये 1.00 होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक जिले के समस्त शासकीय शालाओं में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या अनुसार प्रति विद्यार्थी 1.00रूपये के मानसे बीमा प्रीमियम बीमा कंपनी को चेक/ड्राफ्ट द्वारा अदा करेंगे जिसके लिए दि ओरीयेन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड मंडल कार्यालय–II भोपाल एक पालिसी जारी करेगी जो की 01 अगस्त से प्रभावी होगा। अगले जुलाई को समाप्त होगी।

क– जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष 31 जुलाई को छात्र बीमा सुरक्षा हेतु वर्तमान एवं विगत वर्ष की छात्रों का संख्या अनुसार बीमा प्रीमियम बीमा कंपनी में जमा कर पालिसी प्राप्त करेंगे एवं जिलेवार स्कूलों में कक्षावार छात्रों की संख्या को जानकारी सूची के रूप में देवेंगे। बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए जिला शिक्षाअधिकारी आवश्यकता अनुसार स्थानी निधि का भी उपयोग कर सकेंगे तथा बाद में उन छात्रों से प्राप्त राशि से इसका समायोजन किया जा सकेगा।

ग– इस बीमा योजना के हितग्राही छात्रों को जिलेवार अनाम समूल छात्रों के लिये बीमा पालिसी जारी की जावेगी जो 01 अगस्त से एक वर्ष यानि अगले 31 जुलाई तक के लिये होगी। इसी प्रकार हर वर्ष बीमा की नवीनीकरण किया जावेगा।

—2/—

ख- बीमा कम्पनी, प्रीमियम के भुगतान के उपरांत ही बीमा जोखिम कवर करेगी ।

31 जुलाई के बाद प्रवेश दिये गये छात्रों का प्रीमियम छात्रों के प्रवेश उपरांत बीमा कम्पनी को भेजा जावेगा एवं उसी दिनांक से उन्हें पालिसी में सम्मिलित किया जायेगा और जोखिम (कवर) पालिसी की अवधी की समाप्ति यानी 31 जुलाई तक होगी ।

3- जिला बीमा निधि के संचालन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा:-

1-	जिला शिक्षाअधिकारी	अध्यक्ष
2-	जिला मुख्यालय के विकास खंड शिक्षाअधिकारी	सदस्य सचिव
3-	प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय	सदस्य
4-	प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय-01 (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित)	सदस्य
5-	प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय-01 (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित)	सदस्य

4- क्षतिपूर्ति भुगतान

बीमा पालिसी के चलते छात्र के साथ हुई दुर्घटना की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा निम्नानुसार भुगतान किया जावेगा ।

4.1	दुर्घटनावश मृत्यु	25000/-
4.2	दुर्घटनावश स्थाई पूर्ण आवश्यकता या दो अंगो दोनों आंख, दोनों हाथों या दोनों पैर का पूर्ण क्षति	25000/-
4.3	एक अंग का पूर्ण क्षति, आंख, हाथ, पैर	12500/-
4.4	दुर्घटनाग्रस्त विद्यार्थी का पुस्तकों का क्षति/गुमनेपर	250/-
4.5	चिकित्सा खर्च (यदि दावा उपरोक्त जोखिम की परिधि में है तो)	1000/-

5- दी ओरियेंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड भोपाल के कार्यालय सभी जिलों के लिए एक पालिसी जारी किये जावेगा । दावों का भुगतान भी इस ही कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

(204)

6— इस योजना के दो वर्ष चलने के उपरांत दावा अनुपात का आंकलन किया जायेगा । दावा अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से प्रीमियम दर निश्चित की जावेगी ।

7— दावा प्रक्रिया

दावा प्रक्रिया इस प्रकार होगी:—

7.1 प्रथम यह स्पष्ट होना चाहिये कि छात्र की मृत्यु का कारण दुर्घटना ही है तभी दावा प्रक्रिया शुरू होगी ।

7.2 छात्र की सामान्य मृत्यु इस योजना में शामिल नहीं होने से सूचना बीमा कम्पनी को नहीं भेजी जाए ।

7.3 छात्र की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर कम्पनी को तुरन्त सूचित प्रेषित करें । यह सूचना स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा बीमा कम्पनी को भेजी जाये एवं इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाये । जिससे दावा प्रक्रिया में विलम्ब न हो और बीमा कम्पनी दावा प्रपत्र सीधे स्कूल को भेज सकें । सभी दावा प्रपत्रों को पूर्ण कर स्कूल द्वारा विकास खण्ड शिक्षाअधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बीमा कम्पनी को प्रेषित करेंगे ।

7.4 मृत छात्र की पंजीयन तिथि, नम्बर एवं माता–पिता के नाम के प्रमाणीकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न कर भेजा जाये ।

7.5 बीमा कम्पनी के निर्धारित दावा प्रपत्र को पूर्ण भरकर उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट, दवाईयों के बिल आदि (यदि अस्पताल में उपचार हुआ हो तो) भेजें ।

7.6 पोस्ट मार्टम रिपोर्ट संलग्न की जाये ।

7.7 पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट संलग्न की जाये ।

—— 4 ——

शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा उपरोक्त तथा दस्तावेजों को भेजने की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी जावेगी ।

उपरोक्त समस्त दस्तावेज बीमा कम्पनी को प्रेषित करेंगे । बीमा कम्पनी पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर बीमा दावा स्वीकृत कर भुगतान का चैक संबंधित विद्यार्थी के माता-पिता को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजेगी ।

अवर सचिव 6-1-96

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग